# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

## उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

सोहनलाल वगै0 बनाम बंशीधर वगै0

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

नवीन वाद मुकदमा नं0 42/2018 सन् 2018

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| वादीगण सोहनलाल पुत्र साधूराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी धोलूवाला (खेड़ी) तन् ग्राम अरनियॉ तहसील श्रीमाधोपुर ने उपस्थित होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– अरणियॉ के अटल सेवा केन्द्र में नवीन वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र में दर्ज समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 16 ने लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया। दौराने शिविर उपस्थित पक्षकारान् की पहचान श्री सीताराम पुत्र घीसाराम जाति यादव निवासी अरणियॉ ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। | |
| प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 520, 522, 574, 590, 591, 592, 604, 7, 8 कुल किता 9 कुल रकबा 5.12 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अरनियां में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 177, 378, 383, 385, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी मृत्तक रिछपाल पुत्र भगता पिता व दादा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 10, 5, 6, 9 कुल किता 4 कुल रकबा 2.17 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण नम्बर 3 ता 4 व वादी नम्बर 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिनके पिता का नाम रिछपाल के बजाय पालाराम गलत दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 2.10 हैक्टर तन् ग्राम अरनियॉ में स्थित है जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 1 के पिता का नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 0.96 हैक्टर तन् गाम अरणियॉ की खातेदारी वादी नम्बर 1 के | |

सोहनलाल वगै0 बनाम् बंशीधर वगै0
दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0 42/2018

पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक व मौरूसी भूमियॉ है तथा मद न. 3 ता 5 में वर्णित भूमि पक्षकारान् की संयुक्त हिन्दू कोष से खरीद कर संयुक्त रूप से कय की गई भूमियॉ है। उक्त भूमि वरवक्त खरीद वादीगण नम्बर 2 ता 3 व वादी नम्बर 1 के पिता के नाम से विक्रय लेख हो गया व वादपत्र की मद नम्बर 4 ता 5 की भूमि का विक्रय लेख भी सब भाईयों में बड़ा व कर्त्ता खानदान होने से वादी नम्बर 1 के पिता के नाम से विक्रय लेख पंजिबद्ध कराया गया है। उक्त समस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक व शामलाती भूमियॉ है जिनका मौके पर पक्षकारान् ने बाहमी बंटवारा करीब 20–25 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया है। जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 7, 8, 10, 5, 6, 9 खसरा नम्बर 12 में से हिस्सा 3/4, खसरा नम्बर 11 की सम्पूर्ण भूमियॉ वादीगण नम्बर 1 ता 4 हिस्सा 1/4, 1/4 व वादीगण नम्बर 5 ता 10 के हिस्सा 1/4 हक हिस्से व बंटवारे में आई हुई। भूमि खसरा नम्बर 177, 378, 383, 385, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टर में से रिछपाल पुत्र भगता के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण प्रतिवादी नम्बर 1 के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ है तथा भूमि खसरा नम्बर 604, 522, 520, 574, 590, 591, 592 की सम्पूर्ण भूमियों में से हिस्सा 1/3 की भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 के हक हिस्से व बंटवारें में व 1/3 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के हक हिस्से व बंटवारें में तथा 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से व बंटवारे में आयी हुई है। इसी अनुसार पक्षकारान् बंटवारे के समय से अर्थात् 20–25 वर्षो से पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार पक्षकारान् को अलग–अलग कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी दर्ज करने के अधिकार पूर्णतया प्राप्त होने से खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।

वादपत्र पेश होने पर दौराने शिविर मेरे ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर से राजस्व रिकार्ड के पुराने व नये रिकार्ड का मिलान किया गया तथा शिविर के दौरान उपस्थित जन समूह से प्रकरण के

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
|---|---|---|

**सोहनलाल वगै0 बनाम् बंशीधर वगै0**
**दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा**
**नवीन वाद मुकदमा नं0 49/2018**

बारे में वस्तुस्थिति की जॉच की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 17 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के औपचारिक पक्षकार होने तथा जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। जॉच करने पर पाया गया कि वादीगण के पिता/दादा का नाम रिछपाल था। जिसको पाला राम के नाम से भी जानते थे एंव पुकारते थे। रिछपाल के पिता का नाम भगता है। रिछपाल का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र साधूराम एंव उससे छोटे गंगाराम, चतराराम, जगन्नाथ, म्हादूराम उर्फ महादेव, बशीधर, बोदूराम, भागीरथ, राधा देवी, सुरजीदेवी, ज्याना देवी, मुरली देवी का होना जाहिर किया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में क्रमशः ज्येष्ठ पुत्र होने से चतराराम, गंगाराम साधूराम पुत्र पालाराम अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड होने तथा जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 में रिछपाल पुत्र भगता अहीर का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना रिकार्ड से स्पष्ट होता है। रिछपाल का नाम ही पाला होना अर्थात् रिछपाल उर्फ पालाराम उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट प्रकट होता है। जो पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी साबित होता है।

वादपत्र में दर्ज समस्त पक्षकारान् एक ही कुटुम्ब परिवार से होना वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त भूमियॉ पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व मौरूसी भूमियॉ है तथा उक्त भूमियों को पक्षकारान् ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 10 मे हिस्सा 1/6 वादी संख्या 1 व 2 के नाम तथा खसरा नम्बर 7, 8, 10, 5, 6, 9 व खसरा नम्बर 11 की सम्पूर्ण भूमियॉ वादीगण नम्बर 3 ता 4 के हिस्सा 1/3-1/3 व वादीगण नम्बर 5 ता 10 के हिस्सा 1/3 तथा भूमि खसरा नम्बर 177, 378, 383, 385, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टर में से रिछपाल पुत्र भगता के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में तथा भूमि

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|

**सोहनलाल वगै0 बनाम् बंशीधर वगै0**
**दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा**
**नवीन वाद मुकदमा नं0 42/2018**

खसरा नम्बर 604, 522, 520, 574, 590, 591, 592 की सम्पूर्ण भूमियों में से हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नम्बर 2 के हक में व 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के हिस्से में तथा 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से व बंटवारें में खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान् के मध्य हुए बंटवारे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा की डिक्री पारित करने हेतु एंव खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रकरण में राजीनामा भी पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से चाहने हेतु वादपत्र पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया है। जिस हेतु समस्त पक्षकारान् सहमत है।

प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही न्याय हित में लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 23.05.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से व बंटवारें में आयी हुई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Gm.

Scanned by CamScanner

सोहनलाल वगै0 बनाम् बंशीधर वगै0
दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0 1/2/2018

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र– अरणियॉ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–अरणियॉ

Scanned by CamScanner